शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल
संख्या– 1277/नौ–7–2024–**Com No.1782247**

प्रेषक,

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2024

विषय : प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार स्थलों, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं आदि के माध्यम से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा भिक्षावृत्ति कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–570/एसीएस/सीएम/2024, दिनांक 27.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार स्थलों, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं आदि के माध्यम से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त इन लोगों द्वारा गाड़ियों के शीशे साफ करने या अत्यन्त छोटी सामग्रियों का चौराहों पर रूके वाहनों में अनावश्यक रूप से विक्रय का प्रयास किया जाता है।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों के लिये उनकी आवश्यकतानुसार योजनायें चलाई जा रही है। सभी जनपदों में रैन बसेरों व राजकीय शिशु गृह, राजकीय बाल एवं बालिका गृह, राजकीय महिला शरणालय/संरक्षण गृह स्थापित किये गये है, जहाँ इनकी देखरेख किये जाने एवं पुनर्वास किये जाने की व्यवस्था रहती है। इसके अतिरिक्त सभी नगरों में रैन बसेरों की व्यवस्था कराई गयी है, ताकि निराश्रित लोगों को अनावश्यक रूप से रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों व फुटपाथ आदि पर सोने के लिये मजबूर न होना पड़े।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार शिशु, बालक, बालिका व महिलाओं तथा इस प्रकार के कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने एवं ऐसे व्यक्तियों के सम्मानपूर्वक रैन बसेरों में रहने हेतु भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by
डॉ.राजेंद्र पैंसिया
Date: 08-05-2024 15:25:49
Reason: Approved

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

2823185/2024/ -7

1277/9-7-24

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 570/ACS/CM/2024 दिनांक 27.04.2024

यह लगातार संज्ञान में आ रहा है कि प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार स्थलों, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं आदि के माध्यम से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा भिक्षावृत्ति कराई जाती है। इसके अतिरिक्त इन लोगों द्वारा गाड़ियों के शीशे साफ करना या अत्यन्त छोटी सामग्रियों का चौराहों पर रूके वाहनों में अनावश्यक रूप से विक्रय का प्रयास किया जाता है।

आपको विदित है कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार योजनाएं चलाई जा रही हैं; सभी जनपदों मे रैन बसेरों व राजकीय शिशुगृह, राजकीय बाल एवं बालिका गृह, राजकीय महिला शरणालय आदि संरक्षण गृह स्थापित किए गए हैं; जहाँ इनकी देख रेख किए जाने एवं पुनर्ववास किए जाने की व्यवस्था रहती है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध मे मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि अपने जनपद मे शिशु, बालक, बालिका व महिलाओं तथा इस प्रकार के कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे व्यक्तियों के पुनर्ववास/अन्य आवश्यक कार्यवाहियों प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश के सभी नगरों में रैन बसेरों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि निराश्रित लोगों को अनावश्यक रूप से रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों व फुटपाथ आदि पर सोने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसे व्यक्तियों के सम्मानपूर्वक रैनबसेरों में रहने हेतु भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

01/5/24
(डॉ० राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव, नगर विकास
उत्तर प्रदेश शासन।

27.04.2024

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

<u>प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/आवास/नगर विकास/समाज कल्याण/बाल विकास एवं महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

27.04.2024
(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।